**बिहार सरकार**

**परिवहन विभाग**

**आदेश**

**संं0 स0–04/STA (विविध) -30/2016 परि0,** पटना, दिनांक..................

विभाग द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–68(3)(c-a) के तहत् अनुसूची–I एवं अनुसूची–II के रूप में 133 मार्गो को चिन्हित का विभागीय बेबसाईट पर इसे अपलोड करते हुए दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान', 'दैनिक जागरण', 'दैनिक भास्कर', एवं 'तौजी तंजीन' में परिचालित भाषा हिन्दी में प्रकाशित किया गया तथा प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया गया था ।

उपर्युक्त के आलोक में कई आपत्ति एवं सुझाव विभाग को प्राप्त हुआ है जिसकी समीक्षा समीचीन प्रतीत होता है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 100(2) के आलोक में विभाग को प्रप्त आपत्ति/सुझावों पर विचारण हेतु एक समिति का गठन किया जाता है एवं समिति को निर्देश दिया जाता है कि समिति गठन के 10(दस) दिनों के अंदर आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई कर एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायः–

1.) अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना – अध्यक्ष

2.) उपसचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना – सदस्य

3.) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना – सदस्य

उपर्युक्त पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/
सरकार के उपसचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–04/STA (विविध) -30/2016 परि0 – 3941 पटना, दिनांक– 27.07.17

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ उपसचिव, परिवहन विभाग/संयुक्त आयुक्त –सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन अधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उपसचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।